।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 11.09.2017

पशु क्रूरता के मामले का आरोपी गिरफ्तार

27 भैंसों को मुक्त करा कर टाटा को किया जप्त

1. **थाना सेवरः–** सेवर पुलिस द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान एनएच–21 वमनपुरा मोड के पास एक टाटा 1109 नम्बर आरजे 25 जीए 1380 को रूकवा कर चैक किया तो उक्त टाटा गाडी में 27 भैंस निर्दयतापूर्वक ठसाठस भरी हुई मिली। जिस पर टाटा गाडी के चालक **1. सलीम पुत्र राशीद जाति मुसलमान निवासी राजबाग थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर** को गिरफतार कर सभी भैंसों को मुक्त कराया जाकर तथा टाटा गाडी को जप्त कर थाने पर मु0नं0 432/17 धारा 11(डी) पशु निवारण अधिनियम 1960 के तहत पंजीबद्व किया गया है।

रोडजाम के मामले में 4 जने गिफ्तार

1. **थाना नदबईः–** दिनांक 12 जनवरी 2016 को तत्कालीन थानाधिकारी श्री बलबीर उ0नि0 ने बंटू उर्फ बंटी उर्फ पंकजकुमार वगैराह 17–18 जनों के विरूद्व एक राय होकर रेलवे फाटक के पास कस्वा नदबई में आम रोड को जाम कर ईंट–पत्थर फेंकने जिससे आमजन के जीवन को संकट में डालने तथा पुलिस के साथ धक्का–मुक्की कर राजकार्य में बाधा डालने का एक मामला थाना नदबई पर मु0नं0 17/16 धारा 147, 148, 149, 283, 336, 353 आई0पी0सी0 के तहत पंजीबद्व कराया था। श्री परूषोत्तम लाल उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले नामजद आरोपी **1. कोशलेन्द्रसिंह उर्फ राजू पुत्र गम्भीरसिंह जाति जाट निवासी कवई थाना नदबई, 2. दयाराम पुत्र देवीसिंह जाति गुर्जर निवासी घडी नगला पहाडखाँ थाना नदबई, 3. अमितकुमार पुत्र वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नगला कासगंज थाना नदबई** व **4. गौरव पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी पंजाबी मौहल्ला कस्वा नदबई** को गिरफतार किया गया है।

जानलेवा हमला करने के मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना पहाडीः–** गांव तिलकपुरी थाना पहाडी निवासी जफरूदीन पुत्र संपत जाति मेव ने गांव के ही नबाब उर्फ नब्बा वगैराह 6 जनों के विरूद्व एक राय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ मारपीट कर बन्दूक से जानलेवा फायर कर घायल करने का एक मामला दिनांक 08 जून 2013 को थाना पहाडी पर मु0नं0 177/13 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325, 307 भा0द0सं0 में दर्ज कराया था। थानाधिकारी श्री मुकेशचन्द पु0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. बदरूदीन उर्फ पप्पू पुत्र फयाद उर्फ चिग्गा जाति मेव निवासी तिलकपुरी थाना पहाडी** को गिरफतार किया गया है।

मारपीट के मामले में 3 जने पुलिस शिकंजे में

1. **थाना मथुरागेटः–** कच्चा कुण्डा थाना मथुरागेट निवासी श्रीमति नत्थो पत्नि जगदीश जाति खाती ने कच्चा कुण्डा के ही निवासी विक्रम उर्फ विक्को वगैराह 4–5 जनों के विरूद्व प्रार्थी व परिजनों के साथ मारपीट कर पुत्रबधु के साथ छेडछाड करने का एक मामला दिनांक 15.08.2017 को थाना मथुरागेट पर मु0नं0 647/17 धारा 323, 341, 354, 34 भा0द0सं0 में दर्ज कराया था। श्री विजेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. विक्रम उर्फ विक्को, 2. सुरेश** व **3. उमेश पुत्रान चौथीसिंह जाति गुर्जर निवासी कच्चा कुण्डा बीनारायण गेट थाना मथुरागेट** को गिरफ्तार किया गया है।

मोटरसाईकिल व मोबाईल छिनाने के मामले का आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना सीकरीः–** गांव आलमशाह थाना सीकरी निवासी कमल पुत्र विजय जाति यादव ने गांव आरसी थाना नगर निवासी भीमसिंह वगैराह 3 जनों के विरूद्व नगर रोड गांव वैरू के पास प्रार्थी की मोटरसाईकिल व मोबाईल फोन तथा 400 रूपये नगद छिनाकर ले जाने का एक मामला दिनांक 03.01.2017 को थाना सीकरी पर मु0नं0 07/17 धारा 382 भा0द0सं0 के तहत पंजीबद्व कराया था। श्री भूरीसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. भीमसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति गुर्जर निवासी आरसी थाना नगर** को गिरफतार कर आरोपी के कब्जे से छिनाया हुआ मोबाईल फोन बरामद किया गया है। तथा आरोपी से गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है।

धोखाधडी के मामलों में 3 आरोपी सलाखों के पीछे

1. **थाना अटलबन्दः–** हेलकगेट कस्वा कुम्हेर निवासी करनसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति अहीऱ ने गांव खाजेपुर थाना सोनाह जिला बस्ती यू0पी निवासी वंशराज जाति कुरैशी वगैराह 2 जनों के विरूद्ध रूडकी में आई0आई0टी0 कर रहे प्रार्थी के पुत्र सुभम के ओ0बी0सी प्रमाण–पत्र की जांच करने की झांसा देकर धोखाधडी से हीरादास चौराहे पर 1 लाख रूपये हडप लेने का एक मामला दिनांक 09.09. 2017 को थाना अटलबन्द पर मु0नं0 255/17 धारा 420, 406 भा0द0सं0 में दर्ज कराया था। श्री चतुर्भजसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. वंशराज पुत्र रामनरेश जाति कुरैशी निवासी खाजेपुर थाना सोनाह जिला बस्ती यू0पी** व **2. लक्ष्मीनारायण पुत्र किशनलाल जाति तेली निवासी शिवांगीकुंज थाना पंजाबीबाग पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली** को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना मथुरागेटः–** राजेन्द्रनगर थाना मथुरागेट निवासी देवेन्द्र पुत्र नरोत्तमलाल जाति ब्राह्मण ने गांव सहारा थाना मलपुरा जिला आगरा निवासी सतेन्द्रसिंह जाति जाट वगैराह 6–7 जनों के विरूद्ध प्रार्थी के साथ फर्जकारी कर गोल्ड सुख कम्पनी से सोना खरीदने का झांसा देकर धोखाधडी से 1.78 लाख रूपये हडप लेने का एक मामला दिनांक 06.01.2012 को थाना मथुरागेट पर मु0नं0 20/12 धारा 420, 406, 120बी भा0द0सं0 व 4, 5, 6 चिडफण्ड कम्पनी रोकथाम अधिनियम में दर्ज कराया था। श्री रामवीरसिंह उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. सतेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी सहारा थाना मलपुरा जिला आगरा** को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध खनन सामग्री सहित ट्रैक्टर–ट्रौली जप्त

1. **थाना रूपवासः–** कल दिनांक 10.09.2017 को श्री सुरेशचन्द स0उ0नि0 मय जाप्ता को गस्त व नाकाबन्दी के दौरान जटमासी रोड पर वनसंरक्षित क्षेत्र पहाड से अवैध खनन कर पत्थर (ठेवी) ट्रैक्टर–ट्रौली नम्बर आरजे 05 आरसी 1184 में भरकर चोरी से ले जाते हुये पाये जाने पर ट्रैक्टर चालक पुलिस को वावर्दी देख ट्रैक्टर–ट्रौली को मौके पर ही छोड फरार हो गया था। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर–ट्रौली को मय अवैध खनन सामग्री के जप्त कर थाने पर फरार ट्रैक्टर चालक के विरूद्व मु0नं0 439/17 धारा 33, 41, 42 वन अधिनियम व 4, 21 एमएमडीआर तथा 379 आईपीसी में पंजीबद्व किया गया है।

दहेज हत्या के मामले में पति सलाखों के पीछे

1. **थाना सीकरीः–** गांव गुलपाडा थाना सीकरी निवासी समयदीन पुत्र मंगल जाति फकीर ने गांव उदयपुर निहाम थाना सीकरी निवासी अपनी पुत्री के ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित कर करोसिन डालकर जला कर हत्या कर देने का एक मामला दिनांक 29.08.2017 को थाना सीकरी पर मु0नं0 228/17 धारा 304बी भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। वृताधिकारी वृत डीग श्री अनिलकुमार आर0पी0एस0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले में मृतका के पति **1. नसीम पुत्र कमरू जाति फकीर निवासी उदयपुर निहाम थाना सीकरी** को गिरफतार किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण के मामले में ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार

1. **थाना वैरः–** श्री बीधाराम स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा थाने के सामने से ट्रैक्टर चालक **1. लालाराम पुत्र रतीराम जाति गुर्जर निवासी देवला का नगला थाना रूदावल** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 208/17 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया हैं।

अपहरण के मामले में बालअपचारी को किया निरूद्व

1. **थाना कामांः–** नगला हरचन्द थाना कामां निवासी एक महिला ने नगला के ही निवासी एक बालअपचारी के विरूद्व प्रार्थिया की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर लेजाने का एक मामला दिनांक 11.08.2017 को थाना कामां पर मु0नं0 349/17 धारा 363, 366 आईपीसी व 7, 8 पोक्सो एक्ट में पंजीवद्व कराया गया था। श्री हरभानसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **नगला हरचन्द थाना कामां निवासी एक बालअपचारी** को निरूद्व किया गया है।

64 पव्वा अवैध शराव धर दबोचा

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 64 पव्वा अवैध देशी शराव के जप्त कर एक ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना नदबईः–** श्री हरीशचन्द स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव चोर पीपरी से खटौटी वाली सडक पर अवैध शराब ले जाते हुये पाये जाने पर आरोपी **1. पुष्पेन्द्र पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी वाई थाना हलैना** को 64 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 521/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

अवैध कट्टा व कारतूस सहित पुलिस पकड में

जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के जप्त कर एक ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना चिकसानाः–** थानाधिकारी श्री श्यामसुन्दर उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान गोपाल नगला मोड के पास अवैध हथियार लेकर घूमते हुये पाये जाने पर आरोपी **1. जयसिंह पुत्र लज्जाराम जाति गुर्जर निवासी नगरा थाना माताबसैया जिला मुरैना मध्यप्रदेश** को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मु0नं0 356/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 2 स्थाई वारंटी व 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना कुम्हेरः–** थानाधिकारी श्री विजयसिंह मीना पु0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर नदबई मोड कस्वा कुम्हेर से स्थाई वारंटी **1. ग्यासीराम उर्फ रामस्वरूप पुत्र दोजी जाति कोली निवासी छापर मौहल्ला कस्वा कुम्हेर** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना रूदावलः–** श्री उदयसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर बस स्टेण्ड कस्वा रूदावल से वारंटी **1. भगतसिंह पुत्र श्रीराम जाति पुजारी निवासी भवनपुरा थाना रूदावल** को गिरफ्तार किया गया है।
3. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री पूनमचन्द हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव बौरई से वारंटी **1. सुभान पुत्र करनसिंह जाति जाटव निवासी बौरई थाना कुम्हेर** को गिरफ्तार किया गया है।
4. **थाना गोपालगढः– थानाधिकारी** श्री रामसिंह उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा कामां से स्थाई वारंटी **1. सरफू उर्फ काला पुत्र अयूब जाति मेव निवासी लुहिंगाकलां थाना पुन्हाना जिला नॅूह मेवात हरियाणा** को गिरफ्तार किया गया है।

11 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

5585 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 11 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 5585 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना पहाडीः–** श्री विनोदकुमार हैड कानि0 द्वारा कस्वा पहाडी से **1. पूरनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति कुम्हार निवासी कस्वा पहाडी** को 1020 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 221/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना गोपालगढः–** श्री पूरनसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव जोतकादर से **1. फरीद पुत्र अख्तर, 2 जुबेर पुत्र इस्माईल** व **3 साबिर पुत्र रूजदार जातियान मेव निवासियान जोतकादर थाना गोपालगढ** को 1050 रूपये मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 124/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
3. **थाना कुम्हेरः–** श्री आशुतोष उ0नि0 द्वारा कस्वा कुम्हेर से **1. नीरज पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी कस्वा कुम्हेर** व **2. संजय पुत्र केदार जाति जाटव निवासी त्यौहारी थाना वैर** को 170 रूपये मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 419/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
4. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री गौरवकुमार उ0नि0 (प्रशिक्षु) द्वारा नमक कटरा से 1. **लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीलाल जाति कोली निवासी नमक कटरा थाना कोतवाली भरतपुर** को 320 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 367/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना कामांः–** श्री रामेश्वरदयाल उ0नि0 द्वारा अनाजमण्डी कस्वा कामां से **1. राजेन्द्र पुत्र धनीराम जाति ब्राह्मण निवासी देवीगेट कस्वा कामां** को 790 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 394/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
6. **थाना चिकसानाः–** चिकसाना पुलिस द्वारा गांव आजादनगर से **1. महेश पुत्र रामहेत, 2. बबलू पुत्र रामसिंह** तथा **3. राकेश पुत्र धर्मपाल जातियान बाबरिया निवासियान आजादनगर थाना चिकसाना** को क्रमशः 930 व 1305 रूपये (कुल 2235 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 355, 357/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

5 शराबी वाहन चालक पुलिस पकड में

1. **थाना उद्योगनगरः–** श्री रामनिवास उ0नि0 द्वारा हनुमान तिराहा से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. नरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी तुहिया थाना उद्योगनगर** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
2. **थाना उच्चैनः–** श्री अमीरचन्द हैड कानि0 द्वारा कस्वा उच्चैन से शराव के नशे में बुलेरो चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी बुलेरो चालक **1. राजप्रकाश पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी गोपालपुर थाना जमुनापार जिला मथुरा यू0पी0** को गिरफतार कर बुलेरो गाडी को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
3. **थाना हलैनाः–** श्री शेरसिंह हैड कानि0 द्वारा बस स्टेण्ड कस्वा हलैना से शराव के नशे में कारचलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कार चालक **1. विशाल पुत्र कैलाशचन्द्र जाति रघुवंशी निवासी रामनगर कॉलौनी थाना बन्दादेवी अलीगढ यूपी** को गिरफतार कर ईको कार को एमवी एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
4. **थाना कामांः–** श्री रामेश्वर दयाल उ0नि0 द्वारा बस स्टेण्ड कस्वा कामां से शराव के नशे में कार चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कार चालक **1. पप्पू पुत्र जल्लो जाति गुर्जर निवासी खामिनी थाना हाईवे मथुरा** को गिरफतार कर स्विफ्ट डिजायर कार को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।
5. **थाना सेवरः–** श्री शैलेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा सेवर से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. मोहनसिंह पुत्र कंचनसिंह जाति गुर्जर निवासी नसवारा थाना हलैना** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 12 जने गिरफ्तार

1. **थाना उद्योगनगरः–** श्री पृथ्वीराज हैड कानि0 द्वारा गांव रारह से 1. फतेहसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी अहमल थाना मगोर्रा जिला मथुरा व 2. रामवीर पुत्र छत्रपाल जाति जाट निवासी नगला धान (फौंडर) थाना मगौर्रा जिला मथुरा को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना मथुरागेटः–** मथुरागेट पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. रमेश पुत्र नारायणसिंह जाति कोली निवासी सूरजपोलगेट थाना मथुरागेट, 2. रोहित पुत्र अमरसिंह जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला थाना मथुरागेट, 3. मनीष पुत्र जगदीश जाति हरिजन निवासी हरीजनबस्ती थाना मथुरागेट, 4. विजयसिंह पुत्र साधूराम जाति जाटव निवासी नगरनिगम के पीछे थाना मथुरागेट, 5. रिन्कू उर्फ सतीश पुत्र रामवीर जाति जाट निवासी गिरसै थाना डीग हाल बृजनगर थाना मथुरागेट, 6. आशीष पुत्र रोहतमसिंह जाति मीणा निवासी बृजनगर थाना मथुरागेट, 7. हरिओम पुत्र रामभरोसीलाल जाति मीणा निवासी अनाहगेट बजरिया थाना अटलबन्द व 8. सूरजसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर थाना नदबई को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना सीकरीः–** श्री रतनसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा सीकरी से 1. शीशराम पुत्र रामचन्द जाति यादव निवासी पीपलखेडा थाना गोपालगढ को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना भुसावरः–** श्री नरेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा भुसावर से 1. सत्येन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाटव निवासी इटामडा थाना भुसावर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 15 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना अटलबन्दः–** श्री चतुर्भुजसिंह स0उ0नि0 द्वारा गणेश मन्दिर भरतपुर से 1 रामेश्वर पुत्र श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी मोरेला का नगला थाना बयाना व 2. राजाराम पुत्र गुलाबसिंह जाति गुर्जर निवासी घसौला थाना सेवर को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना उच्चैनः–** श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा उच्चैन से 1. मुनेश पुत्र कल्लू जाति गोस्वामी निवासी भरतवाल मौहल्ला थाना कोतवाली मैनपुरी यू0पी0 को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना वैरः–** श्री धनपतसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव खरबेरा से 1. रामवीर व 2. रंजीत पुत्र गोरधन जाति बर्गी निवासी खरबेरा थाना वैर को गिरफ्तार किया गया है।
4. **थाना नगरः–** श्री हुकमसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा नगर से 1. मोती पुत्र कल्लू जाति कोली निवासी कटरा मौहल्ला कस्वा नगर को गिरफ्तार किया गया है।
5. **थाना हलैनाः–** श्री शेरसिंह हैड कानि0 द्वारा बस स्टेण्ड कस्वा हलैना से 1. बबलू उर्फ बलवन्तसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी पाली थाना हलैना, 2. वकील उर्फ विकाश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी कस्वा हलैना, 3. विकाश पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया निवासी मसूदाबाग थाना बन्दादेवी अलीगढ यू0पी0 व 4. ललित कुमार पुत्र राजकुमार जाति जाटव निवासी नई बस्ती थाना बन्दादेवी अलीगढ यू0पी0को गिरफ्तार किया गया है।
6. **थाना सीकरीः–** श्री जगदीश बाबू हैड कानि0 द्वारा गांव बूडली से 1. अल्ली पुत्र सत्तार जाति मेव निवासी बूडली थाना सीकरी निवासी को गिरफ्तार किया गया है।
7. **थाना बयानाः–** बयाना पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. कृष्णा पुत्र फूलसिंह जाति ठाकुर निवासी दाउदपुर थाना रूदावल, 2. राजे पुत्र जलसिंह जाति ठाकुर निवासी भीमनगर पहरिया कस्वा बयाना, 3. कमलसिंह पुत्र पदमसिंह जाति गुर्जर निवासी नगला जलसिंह थाना बयाना व 4. नारायणसिंह पुत्र लज्जाराम जाति गुर्जर निवासी हाथोडी थाना वैर को गिरफ्तार किया गया है।

77 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **77** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में **46** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **11** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, प्रैसर हॉर्न, लालबत्ती लगाना, नो पार्किंग आदि के आरोप में **20** वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।